राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1245/2025

विक्रम मीणा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप–2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर राजस्थान।
3. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/30 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छाबर करौली से उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 11.10.2019 द्वारा आशान्वित जिलों के आधिकारी/कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु निर्देशित किया गया है कि नवीन कार्मिक का पदस्थापन नहीं होता तब तक कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर किया गया है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 11.10.2019 द्वारा आशान्वित जिलों के आधिकारी / कार्मिक के स्थानान्तरण हेतु निर्देशित किया गया है कि नवीन कार्मिक का पदस्थापन नहीं होता तब तक कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश है। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के स्थान पर नवीन कार्मिक का पदस्थापन नहीं होता तब तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)	**(चेतन राम देवड़ा)**
सदस्य	**(सदस्य)**